

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम

(मिनी स्वास्थ्य भवन, सेठी कॉलोनी, जयपुर दूरभाष नं. 0141-2605858)

क्रमांक: संस्थापन/कोविड/2021/683

दिनांक: 06/09/2021

-: आदेश :-

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर के पत्रांक प. 1(1)चिस्वा/गुप-2/2020 जयपुर दिनांक 18.05.2021 के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को पेन्डेमिक घोषित करने पर तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति से निपटने के परिप्रेक्ष्य में "कोविड स्वास्थ्य सहायक" को 31 जुलाई 2021 तक नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जिस तरह से प्रत्येक जिला स्तर पर स्वयंसेवकों को चयन/मनोनयन किया जाना है के सम्बंध में समय समय पर जारी विज्ञप्ति के पश्चात प्राप्त आवेदनो में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का चयन किया जाना/नियोजन किया जाना है में जयपुर जिले को प्राथमिकता देने के पश्चात जयपुर जिले के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण शेष रहे पदों के लिये अन्य जिलो के निम्नांकित सूचीनुसार अभ्यर्थियों को वरीयतानुसार 3 गुना दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 03.09.2021 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम कार्यालय के मिटिंग हॉल एवं खाघ भवन के मिटिंग हॉल (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम) सेठी कॉलोनी मंदिर मार्ग जयपुर में उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार दल के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया में अनुपस्थित रहें अभ्यर्थियों को एक और मौका देते हुए दिनांक 07.09.2021 को खाघ भवन के मिटिंग हॉल (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम) सेठी कॉलोनी मंदिर मार्ग जयपुर में उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार दल के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जा रहा है। इसे ही अंतिम अवसर समझा जावें।

संलग्न :- सूची/दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी/निर्देश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर-प्रथम

दिनांक: 06/09/2021

क्रमांक: संस्थापन/कोविड/2021/683

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक (जन0स्वा0/ अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जयपुर।
5. जिला कलक्टर, जिला जयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय।
7. अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ को भेजकर निवेदन है कि आप अपने स्तर से भी उप निदेशक सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग जिला कलक्टर जिला जयपुर को भी उक्त सूची एवं दिशानिर्देशों का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे एवं सम्बंधित को मोबाईल पर मैसेज द्वारा सूचना भिजवाया जाने हेतु निर्देशित करे।
8. उप निदेशक सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग जिला कलक्टर जिला जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सूची एवं दिशानिर्देशों का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे एवं सम्बंधित को मोबाईल पर मैसेज द्वारा सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर-प्रथम

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम

(मिनी स्वास्थ्य भवन, सेठी कॉलोनी, जयपुर दूरभाष नं. 0141-2605858)

क्रमांक: संस्थापन/कोविड/2021/ 683

दिनांक: 06/09/2021

—: आदेश :—

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर के पत्रांक प. 1(1)चिस्वा/गुप-2/2020 जयपुर दिनांक 18.05.2021 के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को पेन्डेमिक घोषित करने पर तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति से निपटने के परिप्रेक्ष्य में "कोविड स्वास्थ्य सहायक" को 31 जुलाई 2021 तक नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जिस तरह से प्रत्येक जिला स्तर पर स्वयंसेवकों को चयन/मनोनयन किया जाना है के सम्बंध में समय समय पर जारी विज्ञप्ति के पश्चात प्राप्त आवेदनो में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का चयन किया जाना/नियोजन किया जाना है में जयपुर जिले को प्राथमिकता देने के पश्चात जयपुर जिले के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण शेष रहे पदों के लिये अन्य जिलो के निम्नांकित सूचीनुसार अभ्यर्थियों को वरीयतानुसार 3 गुना दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 03.09.2021 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम कार्यालय के मिटिंग हॉल एवं खाघ भवन के मिटिंग हॉल (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम) सेठी कॉलोनी मंदिर मार्ग जयपुर में उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार दल के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया में अनुपस्थित रहें अभ्यर्थियों को एक और मौका देते हुए दिनांक 07.09.2021 को खाघ भवन के मिटिंग हॉल (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम) सेठी कॉलोनी मंदिर मार्ग जयपुर में उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार दल के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जा रहा है। इसे ही अंतिम अवसर समझा जावे।

संलग्न :- सूची/दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी/निर्देश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर-प्रथम

दिनांक: 06/09/2021

क्रमांक: संस्थापन/कोविड/2021/ 683

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक (जन0स्वा0/ अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जयपुर।
5. जिला कलक्टर, जिला जयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय।
7. अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ को भेजकर निवेदन है कि आप अपने स्तर से भी उप निदेशक सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग जिला कलक्टर जिला जयपुर को भी उक्त सूची एवं दिशानिर्देशो का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे एवं सम्बंधित को मोबाईल पर मैसेज द्वारा सूचना भिजवाया जाने हेतु निर्देशित करे।
8. उप निदेशक सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग जिला कलक्टर जिला जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सूची एवं दिशानिर्देशो का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे एवं सम्बंधित को मोबाईल पर मैसेज द्वारा सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर-प्रथम